सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 94/2017 दायर तारीख :– 22-11-2017

1. मीरा देवी पत्नि दाताराम जाति गुर्जर निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। —— वादिया

बनाम

1. धर्मा देवी पत्नि हरफूल सिंह जाति गुर्जर निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. शाखा प्रबधंक, यूको बैंक शाखा आंतेला जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता वादिया
श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्री खेमचंद मीणा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 26.08.2020

1. वादिया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गांधीनगर के खाता संख्या 85 हाल खसरा नंबर 3075/0.6650 हैक्टेयर भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–2074 है। आराजी मुतनाजा में वादिया का हिस्सा 5325/6650 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1325/6650 है। यह है कि अर्सा काल पूर्व वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी मनबट के हिसाब से वाद ग्रस्त आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर लिया था, जिसमें वादिया का हिस्सा 5325/6650 एन.एच 8 से लगता हुआ खसरा नंबर 3890/3075 के उत्तर एवं पश्चिम दिशा से लगता हुआ, अग्रेंजी के L आकार का भू–भाग कब्जे काश्त में है। इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या 1 का हिस्सा एन.एच. 8 से लगता हुआ शेष भू–भाग पर काबिज काश्त हो कर खेती काश्त करते आ रहे है। यह है कि वादिया अपने कब्जे काश्त की भूमि पर बिना किसी बाधा के गुजर–बसर करती आ रही थी, किन्तु प्रतिवादिया संख्या 1 के मन मे बेईमानी होने के कारण वादिया के कब्जे काश्त वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश पर आमदा हो गई है। प्रकरण में वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने खातेदारी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। आराजी मुतानाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम गांधीनगर के हाल खसरा नंबर 3075/0.6650 हैक्टेयर का मुताबिक कब्जा काश्त एवं नजरी नक्शा अनुसार वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादिया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जावे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में लाल स्याही से बटा नंबर की लाईन खींचकर तरमीम फरमाई जावे। पृथक से पर्चा पास बुक जारी फरमावे। एवं न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी डिक्री बंटवारा अनुसार मौके पर भी नाप कर पत्थरगढ़ी स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने का आदेश तहसीलदार विराटनगर को फरमावे जावें साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया को बंटवारे में प्राप्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए, जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम गांधीनगर खाता संख्या 85 संवत् 2071—2074, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 3075 ग्राम गांधीनगर आदि पेश किये।

4. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सी.पी.सी पेश किया गया। उक्त प्रार्थना के संबंध में अधिवक्ता वादिया के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, बहस वकुलाय सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्व की गई एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई।

5. प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब दावे में कथन रहे कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने—अपने हिस्सों पर यूको बैंक आंतेला से लोन ले रखा है। राजस्व रिकॅार्ड मे यूको बैंक आंतेला के नाम रहन दर्ज जमाबंदी है, इसलिए दावा कानूनी बंटवारा करने योग्य नहीं है, मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाना न्यायसंगत है। यह है कि यदि न्यायालय श्रीमान फिर भी कानूनी बंटवारा किया जाना न्यायोचित समझते है तो बैंक के हितों को ध्यान मे रखते हुए बैंक के रहन को बंटवारे के बाद वादिया एव प्रतिवादी संख्या 1 के खातों पर रहन या स्थिति रखते हुए बंटवारा किये जाने के आदेश प्रदान करें। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का दावा मय स्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने कि कृपा करें।

6. तारीख पेशी 04.12.2019 को अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने के कारण प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।

7. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

8. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम गांधीनगर के खाता संख्या 85 हाल खसरा नंबर 3075/0.6650 हैक्टेयर भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त दर्ज रिकॅार्ड जमाबंदी संवत् 2071—2074 है। आराजी मुतनाजा में वादिया का हिस्सा 5325/6650 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1325/6650 है। यह है कि अर्सा काल पूर्व वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आपसी मनबट के हिसाब से वाद ग्रस्त आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर लिया था, जिसमें वादिया का हिस्सा 5325/6650 एन.एच 8 से लगता हुआ खसरा नम्बर 3890/3075 के उत्तर एवं पश्चिम दिशा से लगता हुआ, अग्रेंजी के L आकार का भू–भाग कब्जे काश्त में है। इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या 1 का हिस्सा एन.एच. 8 से लगता हुआ शेष भू–भाग पर काबिज काश्त हो कर खेती काश्त करते आ रहे है। प्रकरण में वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने खातेदारी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। आराजी मुतानाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। जिससे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा हो रहा। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल निमय 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा उभय पक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

10. वादिया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादिया का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मीरा देवी पत्नि दाताराम गुर्जर सा. बजरंगपुरा	3075/0.4905 हैक्टेयर
2	धर्मा देवी पत्नि हरफूल सिंह गुर्जर सा. बजरंगपुरा	3075/2/0.1221 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :— राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1. मीरा देवी पत्नि दाताराम जाति गुर्जर निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। —— वादिया

बनाम

1. धर्मा देवी पत्नि हरफूल सिंह जाति गुर्जर निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. शाखा प्रबधंक, यूको बैंक शाखा आंतेला जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 94/2017 दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता वादिया व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 एवं श्री खेमचंद मीणा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम गांधीनगर के हाल खसरा नंबर 3075/0.6650 हैक्टेयर का मुताबिक कब्जा काश्त एवं नजरी नक्शा अनुसार वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादिया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में लाल स्याही से बटा नंबर की लाईन खींचकर तरमीम फरमाई जावे। पृथक से पर्चा पास बुक जारी फरमावे। एवं न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी डिक्री बंटवारा अनुसार मौके पर भी नाप कर पत्थरगढ़ी स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने का आदेश तहसीलदार विराटनगर को फरमावे जावें साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया को बंटवारे में प्राप्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर उभय पक्षकारान सहमत है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मीरा देवी पत्नि दाताराम गुर्जर सा. बजरंगपुरा	3075/0.4905 हैक्टेयर
2	धर्मा देवी पत्नि हरफूल सिंह गुर्जर सा. बजरंगपुरा	3075/2/0.1221 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 26.08.2020** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर